छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011
(फाल्गुन-25, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 14 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री बोधराम कंवर के स्थान पर श्री जयसिंह अग्रवाल एवं प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री परेश बागबाहरा के स्थान पर श्री अग्नि चंद्राकर अधिकृत थे।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य ने एस.डी.एम. द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी उल्लेख किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी मामले में दोषी एस.डी.एम.के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री तथा डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि वे पूरी जानकारी प्राप्त कर, आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -जनप्रतिनिधियों को संसदीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा उनके साथ व्यवहार सौजन्यपूर्ण हो।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, ने जिला कोरबा अंतर्गत ग्राम कोनकोना में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में खाद्यान्नों की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने वनमंडल राजनांदगांव के अंतर्गत वनों के संरक्षण/संवर्धन के कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(3) डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी

(4) श्री भोलाराम साहू

(5) श्री ह्दयराम राठिया

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दीपक कुमार पटेल

(2) श्री गुरु रुद्रकुमार

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-23 पर सर्वश्री नंदकुमार पटेल, चैतराम साहू, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू **मांग संख्या-40 पर** डॉ.शक्राजीत नायक एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-45 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर **मांग संख्या-57 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-75 पर** श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-44 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, देवेन्द्र बहादुर सिंह, ताम्रध्वज साहू, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) शक्राजीत नायक, टी.एस.सिंहदेव, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-46 पर** डॉ.शक्राजीत नायक **मांग संख्या-47 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चैतराम साहू, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, धर्मजीत सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

8. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा का जन्म दिवस है। मैं सदन की ओर से बधाई देता हूं।

9. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री बद्रीधर दीवान, देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, दीपक कुमार पटेल, शिवराज सिंह उसारे,

(सभापति महोदय (डॉ.शक्राजीत नायक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, चैतराम साहू, (श्री संतोष बाफना-अनुपस्थित), श्री लखमा कवासी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री अमरजीत भगत, (श्री राजूसिंह ठाकुर-अनुपस्थित), (श्री भीमा मंडावी-अनुपस्थित), श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री रामदेव राम, ह्दय राम राठिया, देवेन्द्र बहादुर सिंह, जयसिंह अग्रवाल, (श्री अग्नि चंद्राकर-अनुपस्थित), श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, (श्री गुरुमुख सिंह होरा-अनुपस्थित), श्री टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री दूजराम बौद्ध, श्री रविन्द्र चौबे।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने वन विभाग से संबंधित मांग संख्या 10 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-10 पर श्री रविन्द्र चौबे, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री चैतराम साहू, धर्मजीत सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री लखमा कवासी, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, श्रीमती अंबिका मरकाम, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

श्री अमरजीत भगत, सदस्य चर्चा प्रारंभ करेंगे।

सायं 6.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 23 मार्च, 2011 (चैत्र 2, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा